04-गिरफ्तारी स्थान:- लोकबन्धु अस्पताल के पास थाना कृष्णानगर दिनांक 10.02.2025

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-0067/2025 धारा 317(2)/317(5) भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-0069/2025 धारा 303(2) भा0न्या0सं0 थाना पीजीआई लखनऊ ।

06-अभियुक्त आकाश सोनकर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-506/2018 धारा 147/332/353/504/506 भादवि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ ।
2. मु0अ0सं0-284/2019 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-630/2019 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ।
4. मु0अ0सं0-27/2024 धारा 457/380/311 भादवि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ।
5. मु0अ0सं0-0067/2025 धारा 317(2)/317(5) भादवि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ ।

07-अभियुक्त अंशू कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-0067/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-588/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ।

08-बरामदगी-

- 01 अदद मो0सा0 नं0-UP32EH8332 honda shine
- 01 अदद मो0सा0 नं0 UP32BR9350 Splendor plus

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना कृष्णानगर पुलिस टीम, दक्षिणी जोन कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 384

दिनांक-10.02.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना कृष्णानगर

- **दक्षिणी जोन के थाना कृष्णानगर पुलिस टीम की कार्यवाही**
- **02 शातिर वाहन चोर/ अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी के 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद।**

संक्षिप्त विवरण –

थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध नियंत्रण हेतु चेकिंग के दौरान आज दिनांक 10.02.2025 को लोकबन्धु अस्पताल के पास से बिना नम्बर प्लेट मोटर साईकिल नं0 UP32EH8332 युक्त दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ कर पुछताछ की गयी तो दोनों ने अपना नाम क्रमशः01-आकाश सोनकर पुत्र स्व0 दीपू सोनकर निवासी जयप्रकाश नगर,नियर केला गोदाम नटखेड़ा कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष, 02-अंशू कुमार विनोदिया पुत्र राकेश कुमार निवासी गीतापल्ली आलमबाग थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष बताया।

आकाश सोनकर व अंशू कुमार विनोदिया उपरोक्त से मोटर साईकिल से सम्बन्धित कागजात मांग गया तो दिखाने से कासिर रहे थे, सख्ती से पुछताछ करने पर अभियुक्तों आकाश सोनकर एवं अंशू कुमार उपरोक्त द्वारा बताया गया कि तीन से चार दिवस पूर्व साई नीम करोरी मैरिज लान साउथ सिटी थाना पीजीआई से मोटर साइकिल नं0 UP32EH8332 का चोरी किया जाना बताया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0-069/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्तगणों उपरोक्त की निशानदेही पर एक ओर मोटर साईकिल UP32BR9350 बरामदी की गयी। उक्त मोटर साईकिल चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -0067/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत करते हुआ अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-मॉड्यूस ऑपरेंडी-

यह सभी अभ्यस्त चोरों का गिरोह है, जो देर रात चोरी करते हैं । सामान्य तौर पर भीड़ भाड वाले स्थल व एकान्त में खडे वाहनों को निशाना बनाकर चोरी को अंजाम देतें हैं, तथा चोरी के वाहनों को बेंचकर प्राप्त रुपयों को आपस में बाँट लेते हैं, इनके द्वारा चोरी के वाहनों का अन्य चोरी की घटनाओं में भी प्रयोग किया जाता है। चोरी की घटनाएं कर वाहन को छोडकर भाग जाते हैं, जिस कारण से इन्हें ट्रेस कर पाना भी मुश्किल होता है

03-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

01-आकाश सोनकर पुत्र स्व0 दीपू सोनकर निवासी जयप्रकाश नगर,नियर केला गोदाम नटखेड़ा कृष्णानगर लखनऊ उम्र-23 वर्ष ।

02-अंशू कुमार विनोदिया पुत्र राकेश कुमार निवासी गीतापल्ली आलमबाग थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र 24 वर्ष

बंथरा	3	383(22)/2024	मूलचन्द्र उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र परागी निवासी ग्राम ऐंन, थाना बन्थरा, लखनऊ।	1	499/2020	447 IPC	बंथरा	90 माह
				2	14/2021	504/506/427/447 IPC	बंथरा	
				3	371/2021	147/323/506/352 IPC	बंथरा	
				4	167/2022	147/323/504/506/447/427 IPC	बंथरा	
				5	340/2024	191(2)/324(4)/351(2) BNS	बंथरा	
बंथरा	4	385(24)/2024	सुन्दरलाल उम्र करीब 62 वर्ष पुत्र परागी निवासी ग्राम ऐंन, थाना बन्थरा, लखनऊ	1	499/2020	447 IPC	बंथरा	90 माह
				2	14/2021	504/506/427/447 IPC	बंथरा	
				3	371/2021	147/323/506/352 IPC	बंथरा	
				4	167/2022	147/323/504/506/447/427 IPC	बंथरा	
				5	218/2021	272 भा0द0वि0 व 60(2) Ex Act	बंथरा	
				6	340/2024	191(2)/324(4)/351(2) BNS	बंथरा	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-379
दिनांक–31.01.2025

दक्षिणी जोन/थाना बंथरा

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- बंथरा क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 381(20)/2024, 382(21)/2024, 382(22)/2024 व 385(24)/2024 से सम्बन्धित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित **विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लखनऊ श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा अपने तर्को के माध्यम से विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुये विपक्षीगण को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए, आज दिनांक- 10.02.2025 को खुले न्यायालय में विपक्षीगण के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षीगण को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0 सं0	वाद सं0	नाम पता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				जिला बदर की अवधि
				क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
बंथरा	1	381(20)/2024	प्रकाश उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम ऐंन, थाना बन्थरा, लखनऊ।	1	499/2020	447 IPC	बंथरा	06 माह
				2	14/2021	504/506/427/447 IPC	बंथरा	
				3	371/2021	147/323/506/352 IPC	बंथरा	
				4	167/2022	147/323/504/506/447/427 IPC	बंथरा	
				5	340/2024	191(2)/324(4)/351(2) BNS	बंथरा	
बंथरा	2	382(21)/2024	श्रीपाल उम्र करीब 57 वर्ष पुत्र परागी निवासी ग्राम ऐंन, थाना बन्थरा, लखनऊ	1	499/2020	447 IPC	बंथरा	06 माह
				2	14/2021	504/506/427/447IPC	बंथरा	
				3	371/2021	147/323/506/352IPC	बंथरा	
				4	167/2022	147/323/504/506/447/427 IPC	बंथरा	
				5	340/2024	191(2)/324(4)/351(2) BNS	बंथरा	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-380

दिनांक-10.02.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- विभूतिखण्ड

- **डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से लोहिया अस्पताल में चोरी की घटना कारित करने वाले 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार।**
- **मौके से चोरी किये गये 20 अदद कापर पाइप बरामद ।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 09.02.2025 को डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा थाना स्थानीय पर चोरी करने वाले चोर को चोरी किये जा रहे पाइप के साथ पकड़ लिया गया है इस सूचना पर तत्काल मौके पर थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम पहुंची तथा विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त व चोरी की पाइप को कब्जे में लिया गया तथा वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना विभूतिखण्ड लखनऊ में मु0अ0सं0 0049/25 धारा 305(e)/317(2) BNS पंजीकृत किया गया।

पकड़ा गये अभियुक्त से पुछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना नाम राम बहादुर पुत्र शेर बहादुर हालपता झुग्गी झोपड़ी OLA आफिस के सामने विभूतिखण्ड मार्केट लखनऊ मूलपता ग्राम गढ़ी भरौली थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी उम्र 19 वर्ष बताया, जिसके द्वारा लोहिया अस्पताल गोमतीनगर में लगे कापर पाइप को हाथ से तोड़कर इकट्ठा कर चोर करने की फिराक में था, तभी अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा मौके पर उसे पकड़ लिया गया तथा पुलिस को सूचना दी गयी, प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल मौके पर पहुंच कर विधिक कार्यवाही करते हुए माल व मुल्जिमान को दिनांक 09.02.2025 को हिरासत पुलिस में लिया गया। पकड़े गये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-राम बहादुर पुत्र शेर बहादुर हालपता झुग्गी झोपड़ी OLA आफिस के सामने विभूतिखण्ड मार्केट लखनऊ मूलपता ग्राम गढ़ी भरौली थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी उम्र 19 वर्ष

03-बरामदगीः-

- 20 अदद चोरी का कापर पाइप

04- अनावरित अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0 0049/25 धारा 305(e)/317(2) BNS थाना विभूतिखण्ड लखनऊ

नोटः- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ.नि. श्री मनीष कुशवाहा
2. उ.नि. यूटी श्री मोहित कुमार
3. हे.कां. कमलेश यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0 383

दिनांक- 10.02.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना पारा

- **भैंस चोरी के दौरान हत्या करने का फरार आरोपी आगरा एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरणः-

थाना पारा पुलिस ने ग्राम सदरौना में भैंस चोरी के दौरान हत्या करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 11/12 जनवरी 2025 की रात ग्राम सदरौना में हुई थी, जब कुछ अज्ञात चोर भैंस चोरी करने आए थे। ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने पर चोरों ने एक व्यक्ति के ऊपर वाहन चढ़ाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना में प्रयुक्त वाहन महिंद्रा पिकअप (UP84AT3264) की पहचान की और 27 जनवरी 2025 को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, मुख्य आरोपी मो. सलमान, जो फरार चल रहा था, उसे पुलिस ने 10 फरवरी 2025 को आगरा एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ हत्या और चोरी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01-मो0 सलमान पुत्र मो0 रशीद निवासी एटा तिराहा मीरखैरा सराय थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

03-पंजीकृत/ अनावरित अभियोगः-

01-मु0अ0सं0 22/2025 धारा 103(1)/303(2)/62/238(a)/3(5) बी0एन0एस0 थाना पारा लखनऊ ।

04-आपराधिक इतिहास अभियुक्त मो0 सलमान

1.मु0अ0सं0 88/2024 धारा 304/34/506 भा0द0वि0 व 27/25/3/4 आयुध अधि0 थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।

नोटः-अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री सुरेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
2. अति0 निरी0 श्री प्रदीप कुमार थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री सचिन कुमार यादव थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
4. का0 राजकुमार थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 381

दिनांक 10.01.2024

जोन-पश्चिमी/ थाना -माल

- **01शातिर वाहन चोर को चोरी के ई-रिक्शा के साथ किया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

उ0नि0 मो0 रोशन मय हमराही कर्मचारी गण के चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन अभियान के अन्तर्गत कस्बा माल यूको बैंक के पास चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी एक व्यक्ति चोरी का ई रिक्शा लिये हुए जेहटा से कस्बा माल की ओर जा रहा है।

इस सूचना पर कस्बा माल में प्रभावी चेकिंग की गयी तथा चेकिंग के दौरान एक ई रिक्शा जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UP32TN9744 को चेक किया गया, तो उस पर नाम मो0 सुफियान पुत्र मो0 फारुख नि0 न्यू हैदरगंज कैम्पवेल रोड प्रदर्शित हो रहा था। चालक से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अमरजीत पुत्र हुलासी नि0 ग्राम भदेसरमऊ थाना मलिहाबाद लखनऊ बताया, चालक अमरजीत उपरोक्त से ई रिक्शा से सम्बन्धित कागजात माँगा गया तो दिखाने से कासिर रहा, सख्ती से पूछताछ की गयी तो बताया कि यह ई रिक्शा मैने आज से एक माह पूर्व नीबू पार्क फूलमण्डी थाना चौक से चोरी किया था तथा इसका नम्बर प्लेट बदलकर ग्रामीण क्षेत्रो में चलाता था।

अभियुक्त अमरजीत उपरोक्त को उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए आज दिनांक 10.02.2025 को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 43/2025 धारा 317(2)/336(2)/345(3)/347/318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अमरजीत पुत्र हुलासी नि0 ग्राम भदेसरमऊ थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र 24 वर्ष

03- पंजीकृत/अनावरित अभियोग:

01-मु0अ0सं0 43/2025 धारा 317(2)/336(2)/345(3)/347/318(4) बीएनएस

04-बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद ई रिक्शा

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1- उ0नि0 श्री मो0 रोशन
2- आ0 पंकज कुमार
3- आ0 जोगेन्द्र कुमार

05-उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-74/2016 धारा 379/411 भादवि थाना चौक लखनऊ
2.मु0अ0सं0-163/2016 धारा -379/411 भादवि थाना हजरतगंज लखनऊ
3.मु0अ0सं0-477/16 धारा -379/411 भादवि थाना चौक लखनऊ
4.मु0अ0सं0- 84/17 धारा -2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना हजरतगंज लखनऊ

06-बरामदगी –

09 अदद मोबाइल फोन अलग-अलग कम्पनी के

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.श्री राजेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मदेयंगज लखनऊ
2.उ0नि0 जनमेश सिंह थाना मदेयंगज लखनऊ
3.उ0नि0 प्रदीप सिंह थाना मदेयंगज लखनऊ
4. प्रशिक्षुउ0नि0 दिव्यांशु मिश्रा थाना मदेयंगज लखनऊ
5.का0 अवधेश कुमार थाना मदेयंगज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-382

दिनांक-10.02.2025

जोन- मध्य / थाना- मदेयगंज

- **24 घंटे में मोबाइल चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, 9 मोबाइल बरामद**

01-संक्षिप्त विवरण-

सेंट्रल जोन के थाना मदेयगंज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मोबाइल फोन चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी किये गये मोबाइल फोन बरामद करने के साथ-साथ 08 अन्य चोरी के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। यह कार्यवाही चोरी और लूट की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।

09 फरवरी 2025 को प्रोहिल उपाध्याय पुत्र संतोष उपाध्याय नि0-ग्राम दुबवन थाना सलोन जनपद रायबरेली ने थाना मदेयगंज में अपने मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश की और चोरी के स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी। इसी दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला, जिससे पता चला कि चोरी के मोबाइल को बेचने की फिराक में एक संदिग्ध शख्स घूम रहा है।

10 फरवरी 2025 को खदरा चुंगी इलाके में तलाश के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति सांझिया घाट बंधा रोड पर मौजूद है। तुरंत कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने वहां दबिश दी और मौके से सुऐब खां को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से चोरी हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया, साथ ही 08 अन्य चोरी के मोबाइल फोन भी मिले, जिन्हें उसने अन्य स्थानों से चुराया था।

गिरफ्तार आरोपी सुऐब खां लंबे समय से चोरी की वारदातों में लिप्त था और अलग-अलग इलाकों से मोबाइल फोन चोरी कर उन्हें बेचता था। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी किए गए मोबाइल फोन कहां और किन लोगों को बेचे जाते थे। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है, जो इस तरह की वारदातों में शामिल हो सकते हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सुऐब खाँ पुत्र शहजाद खाँ निवासी 459/630 डीपी वोरा प्लाट मोहिनी पुरवा हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 32 वर्ष

03-गिरफ्तारी स्थान-

दिनांक 10.02.2025 सांझिया घाट बंधा रोड मदेयंगज लखनऊ

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 23/25 धारा 303(2) बीएनएस बढोत्तरी धारा 35 BNSS/317(2) व 317(4) BNS